न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड

प्रकरण संख्या 34 / प्रार्थना पत्र / 2019 /   दिनांक 27.09.2019

उनवान

1. रतन सिंह पिता भुवानजी उर्फ भवाना जाति गुर्जर निवासी आंवलहेडा
2. हनुमत सिंह पिता भुवानजी उर्फ भवाना जाति गुर्जर निवासी आंवलहेडा
3. महेन्द्र सिंह पिता भुवानजी उर्फ भवाना जाति गुर्जर निवासी आंवलहेडा
4. कृष्णा बाई पुत्री भुवानजी भवाना जाति गुर्जर निवासी आंवलहेडा
5. गुलाब बाई बेवा भुवानजी उर्फ भवाना जाति गुर्जर निवासी आंवलहेडा

–प्रार्थीगण

बनाम

दुलीचन्द पिता जमनालाल जाति तेली निवासी मान्याखेडी तहसील मनोहरथाना

– प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण को एक पक्षीय सुना गया पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, शपथ पत्र एवं प्रार्थीगण का अवलोकन करने के पश्चात् अप्रार्थी को आगामी दिनांक 26.12.2019 तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ग्राम आंवलहेडा पटवार हल्का आवंलहेडा तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 242 पुरानी 239 खसरा संख्या 543 की 2.14 बीघा आराजी के किसी भी विशिष्ट भाग पर अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का कच्चा व पक्का निर्माण कार्य ना तो स्वयं करे ना अन्य से करावें। रेकार्ड एवं मौके की स्थिति बनाये रखे। यदि कोई आपत्ति होतो नियत दिनांक 26.12.2019 को न्यायालय में पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़
मनोहरथाना

8/12/19 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप. / वकील प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रा. पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी जवाब प्रा. पत्र दिनांक 26-12-19 पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड

तारीख दायरा 12.06.2019

प्रकरण संख्या 14 / प्रा.प. / 2019 /

1. रतन सिंह पिता भुवानजी उर्फ भवाना जाति गुर्जर निवासी आवंलहेडा तहसील मनोहरथाना
2. हनुमत सिंह पिता भुवानजी उर्फ भवाना जाति गुर्जर निवासी आवंलहेडा
3. महेन्द्र सिंह पिता भुवानजी उर्फ भवाना जाति गुर्जर निवासी आवंलहेडा तहसील मनोहरथाना
4. कृष्णा बाई पुत्री भुवानजी उर्फ भवाना जाति गुर्जर निवासी आवंलहेडा तहसील मनोहरथाना
5. गुलाब बाई बेवा भुवानजी उर्फ भावना जाति गुर्जर निवासी आवंलहेडा

, प्रार्थीगण

बनाम

1. दुलीचन्द पिता जमनालाल जाति तेली निवासी मान्याखेडी तहसील मनोहरथाना

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0

निर्णय दिनांक 26.12.2019

पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभयपक्षकारान दोनो उपस्थित पर प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी व अप्रार्थी ने बताया कि ग्राम आवंलहेडा पटवार मण्डल आवंलहेडा तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 242 पुरानी 239 की खसरा संख्या 543 की 2.14 बीघा आराजी का प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया कि यदि कोई आपत्ति हो तो प्रार्थना पत्र नियत दिनांक 26.12.2019 को न्यायालय में पेश हो। अप्रार्थी को न्यायालय द्वारा तलबी कराई गई, अप्रार्थी द्वारा दिनांक 3.12.2019 को प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई का पेश हुआ वकील अप्रार्थी पत्र अस्वीकार किया गया, प्रार्थना पत्र सुनवाई 18.12.2019 को नियत किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार लववंशी ने वकालत नामा पेश किया व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया, प्रार्थना पत्र की कॉपी वकील प्रार्थी को दिलाई गई। बहस प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 26.12.2019 नियत की गई। वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई व वकील अप्रार्थी द्वारा बताया गया कि प्रार्थीगण के पिता भवाना ने पूर्व में वाद पत्र पेश किया गया था जो खारिज हो चुका है जिसमें भी प्रार्थीगण के पिता ने अपना काउन्टर क्लेम पेश कर बंटवारे का वाद पेश किया था है जो दिनांक 15.6.2017 को खारिज हो चुका है तथा पूर्व में भी प्रार्थीगण के पिता भवानीलाल ने इस आराजी से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र व वाद पत्र पेश किया गया था जो दिनांक 28.12.2007 को खारिज हो चुका है। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित दोनो ने तर्क प्रस्तुत किये एवं प्रार्थी के अधिवक्ता ने उपखण्ड अधिकारी न्यायालय मनोहरथाना से ही पूर्व में आर.टी. एक्ट. की धारा 53 में हुए निर्णय की प्रतियॉ पेश की, जिनमें वर्तमान पक्षकारान रतन सिंह, हनुमत सिंह, महेन्द्र सिंह, कृष्णा बाई, गुलाब बाई पिता भुवाना उर्फ भवाना जाति गुर्जर निवासी आवंलहेडा की ओर से मृतक भुवाना ने कॉउटर क्लेम की प्रति पेश की जिसमें बिन्दु संख्या 5 में भवाना ने स्वयं ने लिखित कथन प्रस्तुत कर रखा है की उक्त आराजी का बंटवारा सहमति से हो रहा है। अतः वाद का कोई महत्व नहीं है। जबकि वर्तमान में पुनः भवाना के वारिसान आर.टी. एक्ट 53 में बंटवारे का दावा लेके आये है। चूकिः इसी न्यायालय से पूर्व में समान पक्षकारों व आराजी पर समान रिलीफ पर निर्णय दिया जा चुका है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा पूर्व में जारी की जा चुकी थी उसके निरस्त किया जाता है, वाद में पृथक से सुनवाई होगी। पत्रावली प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो व प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

Scanned by CamScanner